न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 06/2023

(GCMS 2023/6)(212633859762605)

श्री लूणाराम जाखड़ पुत्र श्री चेतराम जाखड़ निवासी वार्ड नं. 7, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर–335037 (मोबाईल नम्बर 76918–21962)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री लूणाराम जाखड़ स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री लूणाराम जाखड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष दिनांक 14.10.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री लूणाराम जाखड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2022 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

1. पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सैल श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.02.2022 में आपके कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा इस प्रकरण [illegible] जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति की [illegible] की राजस्थान उच्च न्यायालय में वास्ते सब[illegible] वाद दायर करने की आवश्यकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सेल में प्रस्तुत निवेदन पत्र दिनांक 17.02.2022 की छाया प्रति संलग्न है। एवं डाक व्यय सहित पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/23/835 दिनांक 29.03.2023 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम सं. 06/2023 लूणाराम जाखड़ बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिसमें आगामी पेशी 05.04.2023 निर्धारित है। अपीलार्थी की उक्त सूचना नगरपालिका लालगढ़ जाटान से सम्बन्धित होने के कारण सूचना अधिशाषी अधिकारी, लालगढ़ से ली गई जो इस पत्र के संलग्न कर श्रीमानजी को सादर प्रेषित है।
>
> -sd-
>
> **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी**
> **सादुलशहर**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने उक्तानुसार अपील का जवाब दिया और अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 836–837 दिनांक 29.03.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि उनके द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लालगढ़ जाटान से होने के कारण वे वांछित सूचनाओं की प्रमाणित प्रति उनसे प्राप्त कर सकते है। **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को** अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लालगढ जटान **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु** अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लालगढ जाटान **के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। [illegible] तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर